

HARYANA VIDHAN SABHA

ADDENDUM

TO THE

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON THURSDAY, THE 5TH NOVEMBER, 2020 AT 02.00 P.M.

After item No. VI i.e. "OFFICIAL RESOLUTIONS", add the following :-

VII. LEGISLATIVE BUSINESS.

1. The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 2020.	A MINISTER	to move that the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
2. The Haryana State Employment of Local Candidates Bill, 2020.	A MINISTER	to introduce the Haryana State Employment of Local Candidates Bill; to move that the Haryana State Employment of Local Candidates Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
3. The Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority Bill, 2020.	A MINISTER	to introduce the Haryana Water Resources (Conservation Regulation and Management) Authority Bill; to move that the Haryana Water Resources (Conservation Regulation and Management) Authority Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.

**CHANDIGARH:
THE 5TH NOVEMBER, 2020.**

**RAJENDER KUMAR NANDAL,
SECRETARY.**

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 05 नवम्बर, 2020 को 2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची

का
परिशिष्ट

मद संख्या VI अर्थात् "सरकारी संकल्प" के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए :-

VII. विधान कार्य

1.	पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2020	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
2.	हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, 2020	एक मंत्री	हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक प्रस्तुत करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
3.	हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण विधेयक, 2020	एक मंत्री	हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण विधेयक प्रस्तुत करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

चण्डीगढ़:
5 नवम्बर, 2020.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।